UPJB010063422025

न्यायालय जनपद न्यायाधीष, अमरोहा

पीठासीन अधिकारीः विवेक (उच्चतर् न्यायिक सेवा)

{ JOCODE-UP2012 }

सिविल विविध वाद(स्था0प्रा0)सं0–137 सन् 2025

संजीव माहेश्वरी बनाम शिखा माहेश्वरी आदि

07.03.2026

पुकार करायी गयी।

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

पूर्व दिनॉक पर आवेदक को सुना जा चुका है।

प्रार्थी की ओर से उपरोक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय में विचाराधीन मूलवाद संख्या 293 / 2024 तथा सिविल जज (सी0डि0) के न्यायालय में विचाराधीन मूलवाद संख्या 363 / 2022 में वादग्रस्त सम्पत्ति समान है तथा पक्षकार आपस में सगे संबंधी है। इसलिए दोनों वादों में विरोध ाभासी निर्णय से बचने के लिए इनका निस्तारण एक साथ किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त आधारों पर सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय में विचाराधीन मूलवाद संख्या 293 / 2024 तथा सिविल जज (सी0डि0) के न्यायालय में विचाराधीन मूलवाद संख्या 363 / 2022 को एक ही न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी संख्या–1 की ओर से आपत्ति कागज संख्या–11ग इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी है कि राकेश कुमार माहेश्वरी द्वारा मूलवाद संख्या 363 / 2022 राकेश माहेश्वरी बनाम शिखा माहेश्वरी योजित किया गया है जो मूलवाद संख्या 293 / 2024 शिखा माहेश्वरी बनाम संजीव माहेश्वरी में पक्षकार नहीं हैं। मूलवाद संख्या 363 / 2022 व मूलवाद संख्या 293 / 2024 प्रथक–प्रथक योजित किये गये हैं तथा दोनों वादों में प्रश्नगत वसीयतें भी प्रथक–प्रथक हैं। ऐसी स्थिति में प्रथक–प्रथक वाद कारण होने के कारण दोनों वाद का निस्तारण एक साथ किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त आधारों पर स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कथन किया गया है कि मूलवाद संख्या 363 / 2022 राकेश माहेश्वरी बनाम शिखा माहेश्वरी इस न्यायालय में लम्बित है, जिसमें दिनांक 16.12.2025 वास्ते निस्तारण वाद बिंदु संख्या–3 व 4

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.03.07 15:09:16 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के निस्तारण हेतु नियत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली को अपने न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने मे कोई आपत्ति न होने का कथन किया है।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कथन किया गया है कि मूलवाद संख्या 293 / 2024 शिखा माहेश्वरी बनाम संजीव माहेश्वरी आदि इस न्यायालय में लम्बित है, जिसमें दिनांक 25.03.2026 वास्ते प्रतिवादपत्र नियत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली को अपने न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने मे कोई आपत्ति न होने का कथन किया है।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि मूलवाद संख्या 363 / 2022 राकेश माहेश्वरी बनाम शिखा माहेश्वरी व मूलवाद संख्या 293 / 2024 शिखा माहेश्वरी बनाम संजीव माहेश्वरी में विवादित सम्पत्ति समान बतायी गयी है परंतु दोनों वादों का विचारण भिन्न न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए विरोधाभासी निर्णय से बचने के लिए उपरोक्त दोनो वादों का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार उपरोक्त सिविल विविध वाद(स्था0प्रा0) संख्या–137 / 2025 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत सिविल विविध वाद(स्था0प्रा0) संख्या–137 / 2025 स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय में विचाराधीन मूलवाद संख्या–293 / 2024 शिखा माहेश्वरी बनाम संजीव माहेश्वरी आदि की पत्रावली को सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय से सिविल जज (सी0डि0) के न्यायालय को विधिनुसार निस्तारण हेतु स्थानान्तरित की जाती है।

इस आदेश की एक–एक प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालयों को अविलम्ब प्रेषित हो।

दिनांकः 07.03.2026

(विवेक)
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा।